नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7/3/19	उभय पक्ष [illegible] अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर [illegible] पर है / पदरिक्त है अतः पत्रावली [illegible] 16.5.19 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
16/5/19	पत्रावली पेश हुई, वकुलाय फरिकेन उपस्थित, वकील प्रतिवादी सं. 1 की ओर से जवाब दावा पूर्व दिनांक 19.4.18 को ही पेश किया गया जिसे शा.पृ. किया जाकर एक प्रति वादी अधिवक्ता को दिलायी गयी। वास्ते पत्रावली 212 R.T.A के बहस हेतु दिनांक 8.8.19 को पेश हो।	
8.8.19	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है [illegible] पर है / पदरिक्त है अतः पत्रावली दिनांक 22.8.19 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
22.8.19	उभय पक्ष उपस्थित [illegible] अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है [illegible] पर है / पदरिक्त है अतः पत्रावली दिनांक 29.8.19 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
29.8.19	पत्रावली पेश हुई, वकुलाय फरिकेन उपस्थित, उभयपक्षों की प्रा.पत्र 212 पर बहस सुनी गयी। वास्ते पत्रावली आदेश हेतु दिनांक 30.8.19 को पेश हो।	
30.8.19	पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित, वकील	

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	संतोकपुरा मे स्थित आराजी नं 6611 रकबा 14 बिस्वा भूमि पुश्तैनी होने से प्रार्थीगण एव विपक्षी सं. 1 अपने हक व हिस्से अनुसार काबिज होकर उपयोग-उपभोग करते चले आ रहे है। परन्तु विपक्षी संख्या 01 के नाम उक्त आराजी राजस्व रेकार्ड मे विरासत से अंकन होगयी। जिससे विपक्षी सं. 01 उक्त आराजियात को विक्रय, रहनवय बख्शीस कर जबरन प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमादा है। अतः विपक्षी सं. 1 को पाबंद करावे कि प्रार्थीगण को जबरन बेदखल नही करे तथा रेकार्ड व मौके की यथास्थित मूल वादपत्र के निस्तारण तक रखी जावे। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षो की बहस पर मनन किया गया, प्रथम दृष्टया सुविधा सन्तुलन प्रार्थीगणो के पक्ष का है। यदि प्रार्थीगणो को बेदखल किया जाता है तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम माण्डल पटवार हल्का माण्डल तहसील माण्डल मे स्थित आराजी नं. 5714 व 5716 किता 02 रकबा 15 बिस्वा तथा ग्राम स्टेशननगर पटवारहल्का संतोकपुरा तहसील मांडल मे स्थित आराजी नं. 6611 रकबा 14 बिस्वा भूमि पर विपक्षी सं. 01 के विरुद्ध रेकार्ड व मौके की यथास्थित रखने हेतु मूल वाद पत्र सं. 184/11 के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद पत्र के साथ संलग्न हो। उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	

सेवामें
श्रीमान्
माण्डल,
प्र
1– जन्नत पुत्री
माण्डल, जिल
2– श्रीमति कलर
उम्र बालिग,
तहसील गंग
1– न्याज मोहम्म
तहसील माण
आसीन्द, जि
2– राजस्थान र
जिला भील
वादपत्र बाब
अन्तर्गत धारा
प्रार्थनापत्र
महोदय जी,
व 02 जा0दी0 के
1– यह कि प्र
अहमद पि